कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या – 74/2023 निर्णय दिनांक :–29.04.2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

रमेश कुमार धाकड़ पुत्र हरिशंकर धाकड जाति धाकड निवासी चान्दली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0।

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार देवली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

उपस्थितः–

श्री बाबूलाल मीणा अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत किये जाने पत्थरगढी आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता सं० 619 खसरा नं0 489 रकबा 0.45 है० व खाता सं० 625 खसरा नं0 484 रकबा 0.13 है० भूमि वाके चान्दली प०ह० चान्दली तहसील देवली जिला–टॉक राज० में स्थित है।प्रार्थी की भूमि के अडवे ही अन्य खातेदारान जो बहुबल एवं अपने लठ के जोर पर प्रार्थी को डरा धमकाकर प्रार्थी की भूमि में नाजायज रूप से कब्जा करने की नियत से मेड, डोल को हकाई कर नष्ट कर अपने खेतो में मिला लिया और प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में हकाई. बुआई व फसल काश्त करने में बेजा मजामत करते है। प्राथी की खातेदारी की भूमि में लडी भेड, डोल एवं सीमा चिन्ह को नष्ट कर दिया गया है। इस कारण मौके पर विवाद बना रहता है। एवं प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में फसल काश्त करने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थर गढी करवाना चाहते है जिससे पडौसी खातेदारान से विवाद नहीं रहे और प्रार्थी को हकाई बुआई करने में सुविधा हो सके। प्रार्थी पत्थर गढ़ी की राजकीय शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम चान्दली प०ह० चान्दली तहसील देवली जिला–टॉक राज० में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस अन्दर मियाद पेश है।अतः श्रीमान जी से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की आराजीयात की विधिवत पत्थर गढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार ने जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः—उक्त आवेदक की खातेदारी में दर्ज है और ख. नं. 484 में आवेदक का कब्जाकाश्त नहीं है। उक्त आराजी ख. नं. 484 में सार्वजनिक नाड़ी बनी हुई है। ख. नं. 489 में आवेदक का कब्जाकाश्त है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारों से सीमा विवाद नहीं है। इसलिए उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है और पक्षकार बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। उक्त आराजी के संबंध में किसी न्यायालय से स्थगन नहीं है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि है। आराजी का पूर्व में सीमा ज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा. पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम चांदली तहसील देवली प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है परन्तु विवादित आराजी ख. नं. 484 पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त नहीं है और आराजी ख. नं. 489 पर खातेदार का कब्जाकाश्त है और अन्य खातेदारो से विवाद नहीं है। अतः ख. नं. 484 पर कब्जाकाश्त नहीं होने से इस ख. नं. के लिए प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है व ख. नं. 489 ख नं. पर पूर्ण कब्जाकाश्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2074—77 भूमि खाता संख्या 619 खसरा नम्बर 489 रकबा 0.45 है0, वाके ग्राम चांदली तहसील देवली जिला टोंक की आराजी की विधिवत पत्थरगढी नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कर, प्रार्थीगण व अन्य गवाहान की उपस्थिति में की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 29.04.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली